कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट(उत्तरकाशी)।

Website- http://pwd.uk.gov.ine

mail:-eepwdbarkot@rediff mail.com

दूरभाष / फैक्स नं001375–224756,फैक्स 01375224828

पत्रांक 925 / 4मू0अ0 दिनांक 25 / 06 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/8938/2014)

सन्दर्भ– आपका पत्रांक सं0 1136 / 12–1 दिनांक 16 अक्टूबर 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण विन्दुवार निम्न प्रकार है–

बिन्दु सं0	निराकरण
1–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.565 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 6830 / 34–06 (2016–17) दिनांक 11 जून 2018 के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि मौजा सुनाल्डी खसरा सं0–2465 म0 रक्वा 2.100 हे0, खसरा सं0– 2495 म0 रक्वा 3.465 हे0 कुल रक्वा 5.565 हे0 दी गयी है (संलग्नक–1 पृष्ठ सं0–8) जो वन विभाग के नाम दर्ज है, जिसका विधिवत रूप से वनविभाग द्वारा कब्जे में ले लिया गया है (संलग्नक–2, 3) क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) धनराशि बिन्दू सं0–2 के अनुसार जमा की गयी है। आरक्षित / संरक्षित प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के द्वारा किया जाना है।
2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोंपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	समय–समय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रखरखाव हेतु तत्समय मांगी गयी धनराशि रू0 766389.00 चालान सं0 059447129 दिनांक 27.12.2017 (संलग्नक–4, पृष्ठ सं0–3) द्वारा तथा रू0 1246142.00 की धनराशि युनियन बैंक के खाता सं0–150896189380228 दिनांक 18.07.2024 द्वारा (संलग्नक–5, पृष्ठ सं0–3) अर्थात कुल रू0 2012531.00 मात्र की धनराशि विभाग द्वारा जमा कर दी गयी है।
5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3 / 2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा	बिन्दु सं0–2 के अनुसार।

25.06.25

जना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैक में ऑनलाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	

अतः विनम्र अनुरोध है कि विषयगत कार्य की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर सहित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं0 तनुज काम्बोज)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट।

पत्रांक /   दिनांक /06/2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
3. खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट।

(93)

संलग्न-1

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट के पत्र संख्या 169/4भू0अ0 दिनांक 02.02.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि सुनाल्डी से ज्येष्टवाड़ी मोटर मार्ग निर्माण की वनभूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सकार से प्राप्त हो गयी है तथा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 7663893.00 चालान सं0 S9447129 दिनांक 27.12.2017 के द्वारा जमा किया जा चुका है। उक्त मोटर मार्ग के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि 5.565 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बड़कोट द्वारा अपने पत्र संख्या 523/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2017-18 दिनांक 05 मार्च, 2018 जो उप जिलाधिकारी, बड़कोट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है, कि सुनाल्डी-जेष्टवाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि की जांच क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक पौन्टी से करवायी गयी। राजस्व उपनिरीक्षक पौन्टी द्वारा ग्राम सुनाल्डी की वर्तमान नॉन ज्येड.ए. खतौनी फसली बर्ष 1421 से 1426 के खाता सं0 18 के खसरा संख्या 2465 म. रक्वा 2.100 हे0, खसरा सं0 2495 म0 रक्वा 3.465 हे0 भूमि कुल रक्वा 5.565 हे0 भूमि का नक्शा-खसरा एवं उद्वरण खतौनी की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है ।

शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015-18 (169)दिनांक 30 जुलाई,2015 एवं शासनादेश संख्या 111/XXVII(7)/50(39)-2015/2014 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा कार्यालय ज्ञाप सं0 260/वि0अनु0 -03/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के प्राविधानों के अनुसार राज्य में राजस्व विभाग के नियंत्रण में उपलब्ध भूमि को (विभिन्न प्रशासकीय विभाग के स्वामित्व/प्रबन्धन की भूमि को छोड़कर) एक सेवा विभाग से दूसरे सेवा विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार जिला अधिकारी को प्रतिनिधानित किया गया है।

अतः तहसीलदार/उप जिलाधिकारी, बड़कोट से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम सुनाल्डी में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग-9 (3) ड. में दर्ज भूमि खसरा सं0 2465 म. रक्वा 2.100 हे0, खसरा संख्या 2495 म0 रक्वा 3.465 हे0 भूमि कुल रक्वा 5.565 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

ह0/-
(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 6830/ 24-6 (2016-17) दिनांक 11 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट।
2- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार बड़कोट।
3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बड़कोट।

प्रभारी अधिकारी
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
11/06/18

Rw 2815
16/3/18

(92)

कार्यालय तहसीलदार बडकोट, जिला उत्तरकाशी।

संख्या 523 / र0का0 / क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0 / 2017–18 दिनांक 05 मार्च, 2018

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

द्वारा :– उपजिलाधिकारी बड़कोट।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में सुनाल्डी जेस्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वन भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बिषयक अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट (उत्तरकाशी) के संलग्न पत्रांक संख्या /4 मू0अ0 दिनांक 02–02–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद उत्तरकाशी में सुनाल्डी जेस्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वन भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि के नक्शे–खसरे एवं उद्धरण खतौनियां चाही गई है। उक्त मोटर मार्ग हेतु सिविल सोयम भूमि की जांच क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक पौंटी से करवाई गई है। वांछित आख्या निम्नवत है।

क0सं0	मोटर मार्ग का नाम	मोटर मार्ग निर्माण में अर्जित वन भूमि	वन भूमि के बदले प्रस्तावित दुगुनी सिविल सोयम भूमि	विवरण
1	2	3	4	5
1	सुनाल्डी जेस्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण	2.7825 हे0 वन भूमि	2465म / 2.100 हे0 2495म / 3.465 हे0	ग्राम सुनाल्डी की वर्तमान नोन जेड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1421 से 1426 के खाता संख्या 18 के खसरा संख्या 2465म / 2.100 हे0 एवं 2495म / 3.465 हे0 कुल रकवा 5.565 हे0 भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3) ङ की प्रस्तावित की जा रही है, प्रस्तावित भूमि का नक्शा–खसरा एवं उद्धरण खतौनी एक प्रति में संलग्न की जा रही है।
	योग		कुल रकवा 5.565 हे0	

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग की क्षतिपूर्ति बृक्षारोपण हेतु उपरोक्तानुसार सिविल सोयम भूमि के नक्शे–खसरे एवं उद्धरण खतौनियां (एक प्रति में) संलग्न प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि ।

तहसीलदार,
बड़कोट।

तहसीलदार बड़कोट की उपरोक्त आख्या जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी की सेवामें संस्तुति सहित प्रेषित,

LAC

उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)
7/3/18

प्रभारी अधिकारी
भूमि–जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
16/3/18

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

बड़कोट

महोदय,

संलग्न पत्रांक /4 भू० अ० दि० 2-2-18 भारतीय अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० बड़कोट उत्तरकाशी के पत्र के क्रम तहसील बड़कोट ग्राम कुनाल्डी ... मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.782 हे० वन भूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ग्राम कुनाल्डी में खसरा नं० 2465 म० 2.100 हे० एवं खसरा नं० 2495 म० 3.465 हे० भूमि का नक्शा-खसरा नकल खतौनी तैयार की गई है जो संलग्न है वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि 5.565 हे० वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने बावत रिपोर्ट सेवा में प्रेषित।

R.K.
आवश्यक कार्यवाही
क०
करें।
17/2/18

15-2-18
रा०उ०नि०
पौंटी

(90)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट (उत्तरकाशी)

PWD

Website- http://pwd.uk.gov.in

e-mail:- eepwdbarkot@rediff mail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 01375–224756,fax 01375224828

पत्रांक / 4भू0अ0

दिनांक 02/02/2018

सेवामें

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में सुनाल्डी ज्येष्टाडी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वनभूमि के बदले वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

सन्दर्भः– उपजिलाधिकारी बडकोट के पत्रांक सं0 मैमो /र0 का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रांक सं0 2011–दि0 12.12.2016

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें जो आपको संबोधित है कि जिसके द्वारा सुनाल्डी से ज्येष्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य की वन भूमि की सैद्वान्तिक स्वीकृती सं0 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,भारत सरकार के पत्रांक सं0 525/X –4–16/1 (163) 2016 दि0 14 जून 2016 के द्वारा प्राप्त हुई है।(छाया प्रति संलग्न) तथा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 7663893.00 चालान सं0 S9447129 दि0 27.12.2017 को इस कार्यालय द्वारा जमा किया चुका है ।

आपके स्तर से उपरोक्त मार्ग हेतु 2.7825 हे0 के एवज में वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि 5.565 हे0 वन विभाग के नाम हस्तान्तरण करवाया जाना है ।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण करवाने का कृपा करें ।

(333) तहसीलदार बड़कोट ... आ0 का0 करें,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

उपजिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी) ...2018

(इं0जे0पी0 रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0,बड़कोट

पत्रांक 169 / 4भू0अ0 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–
1. प्रभागीय वनाधिकारी बडकोट को आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित ।
2. उपजिलाधिकारी बडकोट को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
3. श्री सुरेन्द्र दत्त बडोनी, अमीन, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

RK / रा0 उ0नि0 ...

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड़ लो0नि0वि0,बड़कोट

... 2/02/18

जिस R.S.I. क्षेत्र में भूमि उपलब्ध है, वहां से क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रस्ताव मांगायें ।

05/2/18
Teh Bkt

नकल खसरा ग्राम सुनाली तह० बड़कोट जिला उत्तरकाशी

खसरा नं०	रकबा हे०	प्रस्तावित रकबा	नाम भूमिधर	
2465	2.382	2.100 हे०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 5(3)(ड़)	
2495	3.825	3.465 हे०		
योग	6.207 हे०	5.565 हे०		

तैयार किया

[signature]
15-2-18
रा० उ० नि०
धौ-टी

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

नकल खतौनी. Non Z.A. मौजा सुनाल्डी, तहसील बड़कोट

फसली वर्ष 1427 से 1432

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	वर्ग 9 (3) ङ. खाते के बाहर की कृषि योग्य बंजर भूमि :-														
18	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 (3) ङ. ·X·	1377 फ॰ से पूर्व	22	0.003					जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश सं॰						
			24	0.004					6830/24/05 (2016-17) वन भूमि हस्तान्तरण						
			26	0.003					दि॰ 11 मई 2018 के अनुसार ग्राम सुनाल्डी में						
			x	x					उत्तराखण्ड सरकार की स्वामित्व की वर्ग 9(3) ङ.						
			x	x					में दर्ज भूमि खसरा न॰ 2465 रक्वा 2.100 हे॰						
			2465	2.382					एवं खसरा न॰ 2465 म॰ रक्वा 3.465 हे॰ कुल						
			2468	0.140					5.565 हे॰ भूमि राजस्व अभिलेखों प्रभागीय						
			x	x					वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट						
			x	x					को हस्तांतरित (नागमतिक) की जाने की स्वीकृति प्रदान						
			2495	3.825					की गई है तद्नुसार अमलदरामद किया						
			2496	0.0055					हस्ताक्षर अस्पष्ट राजस्व उप निरीक्षक पौंटी						
			x	x					दिनांक 15-10-18						
			x	x											
			6307	0.023											
			6647	0.023											
	खाते का योग →		70	4.678					तैयारकर्ता:						

Sd/- 20/06/25

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...... पौंटी..........

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

~~नकल A1 on 2 A खतौनी ग्राम सुनाल्डी तह० पछवादून फसली सन 1421 से 1426 तक~~

— श्रेणी ६ (३) ङ खाते के बाहर की कृषि योग्य बंजर भूमि :

18	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी ६(३) ङ	२२	०००३
		२४	०००४
		२६	०००३
		xx	xx
		xx	xx
		xx	xx
		२४२६	०००६
		२४३२	०.१२४
		xx	xx
		२४६५	२.३८२ ✓
		२४६८	०.१४०
		xx	xx
		२४८८	००८३
		२४६४	०.२३
		२४६५	३.८२५ ✓
		२४६६	००५५
		xx	xx
		x	x
		६५००	४.०८८
		६४४३	०३६
	खाते का योग —	१०८०	११२.३२४

असल से नकल किया

[signature] 15-2-18 रा० कु० नि० पांजी

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 राजस्व परिषद / 68–14–6–2010 (प–11) 1,00,000 फार्म (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।

2465
2495
15-2-18

संलग्न-2

सिविल सोयम भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग का कब्जा प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/8938/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि सुनाल्डी से जेष्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित वनभूमि के बदले दोगुने क्षेत्रफल 5.565 है0 सुनाल्डी सोयम सिविल भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के आदेश सं0–6830 / 24–6(2016–17) दिनांक 11.06.2018 के द्वारा ग्राम सुनाल्डी सिविल सोयम भूमि खसरा सं0–2465म0 / 2.100 हे0 2495म0 / 3.465 है0 कुल रक्वा 5.565 है0 को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की गई सिविल सोयम भूमि का सीमांकन कर वन विभाग के कब्जे में कर लिया गया है।

Sanjay 20/06/25			
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
राजस्व उपनिरीक्षक	वन बीट अधिकारी	वन दरोगा	वन क्षेत्राधिकारी
पौंटी	मोल्डा	मोल्डा	पुरोला

संलग्न-3

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/8938/2014)

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के शासनादेश सं0– एफ0एन0–11–09/98– एफ0सी0 दिनांक 13.02.2014 एवं दिनांक 18.12.2015 के द्वारा प्राप्त हुई है। उपरोक्त योजना के बदले सुनाल्डी सिविल सोयम भूमि खसरा सं0–2465म0/2.100 हे0 2495म0/3.465 है0 कुल रक्वा 5.565 है0 चयनित किया गया है। उक्त चयनित क्षेत्र में विषयगत परियोजना के तहत ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

Sonam 10/06/25			
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पौंटी			
राजस्व उपनिरीक्षक	वन बीट अधिकारी	वन दरोगा	वन क्षेत्राधिकारी
	मोल्डा	मोल्डा	मुगरसन्ती

संलग्नक - 4 पृष्ठ - 3

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraph 284, 290 and 304) Pass for Rs. 7663893-

To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advance for which notice of the special form 24, 25, 26 and 27 are suitable

Cash-book Voucher No. 27 Dated 21/12/17

(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (7663893/-) to Self

(2) Piad by me .... Compensatory afforestation Fund CAF ...

RECEIVED from the Ex Engineer Const Divn incharge .... Sub division .... Division the sum of Rs. 7663893/-

Name of work of purpose for which payment is made. On A/c of N.P.V. Payment of Sanoli Barkot to Jastadi M/Rd.

Amount in Vernacular ....

The Witness

Executive Engineer
Construction Division
PWD Barkot
21/12/2017

Signature of Payee

Stamp

Core Treasury System (CTS UK)
E-Cheque Advise
Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC4103187312170021 Date :21-DEC-17

Div Code	1873	Division Name :	Construction Division P.W.D
Grant No	PAC	Scheme :	5054043370304 NV
Code	05007620927	Name :	M/S PWD CONSTRUCTION DIV BARKOT
Payment Type	Final Bill	Project Name :	N P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTED AMT : 141731010 EXPENDITURE AMT : 98742443 REMAINING AMT : 42988567

To Sr TO/TO/STO
Barkot

... M/S PWD CONSTRUCTION DIV BARKOT
... Bank of India IFSC Code SBIN0003290 Account No.33983861875 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	7663893
	Total Payment :	7663893

Amount in words (Rs. Seventy-Six Lac Sixty-Three Thousand Eight Hundred Ninety-Three Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

Divisional Accounts officer I
Construction Division,P.W.D
BARKOT(Uttarkashi)
DAO/Sr DAO Construction Division P.W.D. Barkot

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D Barkot
21/12/17

Executive Engineer CD PWDBadkot

For Treasury Use

Voucher No.
Voucher Date / /

ID :CC4103187312170021 Date 21-DEC-17

Payment to

Passed Amount Rs 7663893.00
Amount in words (Rs. Seventy-Six Lac Sixty-Three Thousand Eight Hundred Ninety-Three Only.)
Bank Amount Rs. 7663893.00 Amount By TC Rs. 0.00

Accountant Signature ATO Signature CTO/Sr TO/TO/STO Signature

CAMPA/DDO Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-09-2017

Client Code.	CAMS089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	11389382014375
Address.	Construction Division PWD Barkot Uttarakhand
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdbarkot@rediffmail.com 9457268901 1375-224156
Amount(in Rs)	7663893/-
Beneficiary Branch and Code	FCS Branch (0633)

Amount in Words: Seventy Six Lakh Sixty Three Thousand Eight Hundred and Ninety Three Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 28-09-2017

Client Code.	CAMS089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	11389382014375
Address.	Construction Division PWD Barkot Uttarakhand
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdbarkot@rediffmail.com 9457268901 1375-224156
Amount(in Rs)	7663893/-
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words: Seventy Six Lakh Sixty Three Thousand Eight Hundred and Ninety Three Rupees Only

Executive Engineer Construction Division (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

...successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

59117129 छायाप्रति सत्यापित

अधिशासी अभियन्ता/प्रभागीय अधिकारी
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

27 DEC 2017

संलग्नक - 05 पृष्ठ सं० - 3

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

मा०नाम:- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाली से मेखाली मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित NPV का भुगतान

Head of Account .... Passed for Rs. 12,46,142.00

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 284, 290 and 304)

Cash Book Voucher No. 17 dt. 18/07/2024 Date

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(1) Pay by Cheque/Cash ( ) .... to Shri उत्तराखण्ड कैम्पा

....

(2) Paid by me

RECEIVED from the ....

Incharge of अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट

Sub-Division AE II .... Division the sum of Rs. (12,46,142/- ....

....

Name of work/purpose for which payment is made .... PAID VIDE CHEQUE ID NO. W01002

DATED 18/07/24 Rs. 1246142.00

....

Checked For Rs. 1246142/-

Prakash

Witness

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Amount in Voucher
Signature of Payee

:08 PM

NEFT RTGS CHALLAN

Letter No.- 17 dt 18/07/2024

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-07-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6189380228
MoEF/SG File No.	1(163)/2014
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD BarkotUttarkashi
Amount(In Rs)	1246142/-

Amount In Words :Twelve Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Forty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896189380228 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-07-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6189380228
MoEF/SG File No.	1(163)/2014
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD Barkot Uttarkashi
Amount(In Rs)	1246142/-

Amount In Words :Twelve Lakh Forty-Six Thousand One Hundred and Forty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896189380228 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

18/7/24

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट(उत्तरकाशी)।
Website- http://pwd.uk.gov.ine
mail:-eepwdbarkot@rediff mail.com
दूरभाष / फैक्स नं001375–224756,fax 01375224828

पत्रांक 1151 / 4भू0अ0 दिनांक 19 / 07 / 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट।

विषय– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुनाल्डी से जेष्टाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.7825 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक सं0 2331 / 12–1 दिनांक 16 मई 2024

महोदय,

विषयगत कार्य की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के शासनादेश सं0– एफ0एन0–11–09 / 98–एफ0सी0 दिनांक 13.02.2014 एवं दिनांक 18.12.2015 द्वारा प्राप्त हुयी है। विषयगत कार्य की विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0– 725 / 4भू0अ0 दिनांक 06.05.2024 एवं 1692 / 4भू0अ0 दिनांक 14.11.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित है। पुनः अनुपालन आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तो की अनुपालन आख्या निम्नानुसार हैः–

शर्ते	शर्तो का अनुपालन
1–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.565 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।	जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक 6830 / 34–06(2016–17) दिनांक 11 जून 2018 के द्वारा वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि मौजा सुनाल्डी में उपलब्ध करवायी गयी है जो वन विभाग के नाम अमल बरामद है।
2– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में. वृक्षारोंपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 रू0 766389.00 चालान सं0 059447129 दिनांक 27.12.2017 के द्वारा जमा हो चुकी है। (संलग्न)
3– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3 / 2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान गूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 धनराशि उपरोक्तानुसार जमा है। साथ ही अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि रू0 1246142.00 दिनांक 18.07.2024 (विल की प्रति संलग्न) को जमा कर दी गयी है।
4– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 धनराशि उपरोक्तानुसार जमा है। साथ ही अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि रू0 1246142.00 दिनांक 18.07.2024 (बिल की प्रति संलग्न) को जमा कर दी गयी है।
5– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3 / 2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन लाईन अपलोड	नियमानुसार अनुपालन किया जायेगा।

करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैक में ऑनलाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑनलाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।	
6–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	भू–वैज्ञानिक के सुझावों को पालन किया जायेगा।
7–प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्ते का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वनविभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त सं0 7 का पालन किया जायेगा।
8–प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम –2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रो को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	प्रस्तावक विभाग/एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 में निहित प्राविधानों समस्त अभिलेखों प्रपत्रों को उपलब्ध करवाया गया है।
9–उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अतः विनम्र अनुरोध है कि विषयगत कार्य की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर सहित।

संलग्न–1 अनुपालन आख्या की छायाप्रति।
2–बिल व चालान की छायाप्रति।

भवदीय

(इं0 मनोहर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट।

पत्रांक 1181/4 क.ख. — दिनांक 19/07/2024

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) सुभाष रोड़, देहरादून।
2. नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून उत्तराखण्ड।
3. अमीन निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/24
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,बड़कोट।